"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक ज़ी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2014—— माघ 16, शक 1935

मछलीपालन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2009/36. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में -

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक-1 के कॉलम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
   "सीधी भर्ती :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एफ.एससी.

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य एवं मत्स्योद्योग में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर (एम.एससी. प्राणीविज्ञान) तथा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।"

2. अनुसूची—तीन के सरल कमांक—2 के कॉलम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।"

3. अनुसूची—तीन के सरल कमांक—3 के कॉलम—5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एक) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी निम्नलिखित विषयों, अर्थात् —
सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में स्नातक

और

(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र

तथा

(तीन) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1—14 / 2009 / 36.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05—02—2014 को अंग्रेजी अनुवाद, राज्य के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 5th February 2014

NOTIFICATION

No. F 1-14/2009/36. – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fisheries Non-Gazetted Class-III (Executive) Service, Recruitment Rules, 2009, Namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules :-

1. For column 5 of serial number 1 of Schedule-III, the following shall be substitued, namely :-

   "Direct recruitment:- M.F.Sc. from any recognized University

   OR

   Post Graduate (M.Sc. Zoology) from any recognized University with specialisation in fish and fisheries and trained in fisheries course from any Institution governed by the central of State Government."

2. For column 5 of serial number 2 of Schedule-III, the following shall be substitued, namely :-

   "B.F.Sc. from any recognized University

   OR

   Graduate in Biology from any recognized University and trained in inland fisheries course from any Institution governed by the Central of State Government."

3. For column 5 of serial number 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

   "(i) Graduate from recognized University in any of the following subjects, namely – Statistics, Mathematics, Economics or Commerce

   AND

   (ii) One year Diploma / Certificate in Data Entry Operators/ Programming from any recognized Institution

   AND

   (iii) 5000 Key depression speed per hour in Hindi typing on Computer (efficiency test for speed shall be taken).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.